गांव में मचा हड़कंप, जांच में जुटे पुलिस के आला अधिकारी

वारदात:बिजनौर में दो की गला दबाकर हत्या

सनसनी

बिजनौर, संवाददाता। हल्दौर के गांव बिलाई में मंगलवार देर रात गला दबाकर वृद्धा और एक वृद्ध की हत्या कर दी गई। दोहरे हत्याकांड से ग्रामीण व पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। पुलिस के आला अधिकारी मौके पर जांच की।

हल्दौर थाना क्षेत्र के गांव बिलाई में चंद्रकला (65वर्ष) पत्नी स्वर्गीय कल्याण सिंह व उनका नौकर अमर सिंह (70वर्ष) घर पर थे। मंगलवार रात किसी ने चंद्रकला व अमर सिंह की गला दबाकर हत्या कर दी। दोनों के शव अलग-अलग चारपाई पर पड़े मिले। सूचना पर एएसपी सिटी डा. प्रवीन रंजन सिंह, सीओ सिटी कुलदीप गुप्ता पुलिसबल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस अधिकारी ग्रामीणों से जानकारी कर रहे है। जबकि डाकस्वावड व फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है। अमर सिंह चंद्रकाल के यहां नौकर था, जो करीब 15 साल से उनके घर ही रहता था। जबकि चंद्रकला के पति की काफी दिन पहले मौत हो चुकी है। उनके कोई संतान भी नहीं थी। पुलिस के मुताबिक चंद्रकला के पास आठ बीघा खेती की जमीन भी है।

> हल्दौर के गांव बिलाई में महिला व नौकर के शव घर में पड़े मिले हैं। महिला के गले में कपड़ा मिला है। पुलिस के अधिकारी मौके पर है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।
> -डा. धर्मवीर सिंह, एसपी, बिजनौर

अगवा कर खतौली के युवक की एटा में हत्या

हापुड़, संवाददाता। पिलखुवा थाना कोतवाली इलाके के अंतर्गत गांलद में किराए के मकान में रहने वाले एक युवक का अपहरण कर एटा में हत्या कर दी गई। युवक 19 फरवरी से लापता था। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जानकारी के अनुसार सोहनवीर उर्फ सोनू निवासी फहीमपुर खुर्द खतौली का रहने वाला है। वर्तमान में वह पिलखुवा के गांव गांलद में अपनी पत्नी काजल के साथ पिछले दो महीने से किराए पर रह रहा था। 19 फरवरी को वह अपने दोस्त के साथ आजमगढ़ गया था। लेकिन वह वापस नहीं लौटा। जिस पर उसकी पत्नी ने 28 फरवरी को पिलखुवा में गुमशुदगी दर्ज कराई। साथ ही उसके भाई ने दोस्त पर अपहरण कर हत्या करने का भी आरोप लगाया। पुलिस मामले की जांच में जुट गई। कोतवाली प्रभारी अभिनव पुंडीर ने बताया कि जांच में अहम सुराग मिले।

एएमयू में एमएससी लैंड स्कोपी की पढ़ाई

अलीगढ़। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय में अब एमएससी एग्रोनोमी व एमएससी लैंड स्कोप की पढ़ाई की सौगात छात्र-छात्राओं को मिल सकेगी।

विश्वविद्यालय की एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के प्रस्ताव को एग्जीक्यूटिव काउंसिल ने पास कर दिया है। प्रस्ताव यूजीसी में भी लगभग पास हो गया है। विश्वविद्यालय के अधिकारियों का कहना है कि नए शैक्षिक सत्र से विद्यार्थियों को इन कोर्सों की सौगात मिल सकेगी। अलीगढ़ मुस्लिम विवि में 25 देशों के 36 हजार से ज्यादा विद्यार्थी अध्ययनरत् है।

बीएएमएस के छात्र ने पैसे के लिए ली साथी की जान

अपराध

टूंडला (फिरोजाबाद)। थाना पचोखरा के अंतर्गत रुपयों के लालच में एक दोस्त ने अपने बीएएमएस तृतीय वर्ष के दोस्त की जान ले ली। उसे जहर का इंजेक्शन लगाकर मार दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए जिला मेडीकल कॉलेज फिरोजाबाद भेजा है। मृतक के छोटे भाई ने हत्या की साथी छात्र के खिलाफ नामजद तहरीर थाना पचोखरा में दी है। इस पर मुकदमा लिखा जा रहा है। जनपद एटा के गांव शीतलपुर निवासी बीएएमएस का छात्र अंशुल यादव पुत्र सूरजपाल आगरा के टेढ़ी बगिया पर स्थित आरबी आयुर्वेदिक कलिज में बीएएमएस तृतीय वर्ष की पढ़ाई कर रहा था। उसके साथ ही टूंडला निवासी संदीप शुक्ला पुत्र प्रताप नरायन शुक्ला भी पढ़ता है। एक ही कक्षा में होने के चलते दोनों में काफी अच्छी दोस्ती भी हो गयी। कुछ समय पूर्व संदीप ने अपने मित्र अंशुल यादव से कुछ रुपये उधार ले लिए।

ई टिकटों की बिक्री में पांच गिरफ्तार

मुरादाबाद। रेलवे में ई टिकट में अवैध कारोबार का भंडाफोड़ हुआ है। रेल सुरक्षा बल ने छापामारी कर यूपी व उत्तराखंड के अलग-अलग स्थानों पर पांच लोगों को गिरफ्तार किया है। रेलवे पुलिस की टीम ने मौके से मौजूदा रेल टिकट के अलावा पुराने रेल टिकट भी बरामद किए है। इन टिकटों की कीमत 35 हजार से ज्यादा है। टीम ने देहरादून के अलावा सुल्तानपुर व सीतापुर से आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये लोग व्यक्तिगत यूजर आईडी के जरिए आरक्षित ई टिकटों को ज्यादा रकम पर बेचते थे।

प्रदेश 30

मजदूरी के पैसे मांगने पर युवक की हत्या

हल्दौर। हल्दौर के गांव नांगलजट स्थित एक गन्ने के क्रेशर पर मजदूर व ठेकेदार के बीच पैसों को लेकर विवाद हो गया। विवाद में ठेकेदार ने मजदूर युवक पर किसी धारदार हथियार से हमला कर दिया। इससे मजदूर की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उसका भाई गंभीर रूप से घायल हो।

कैंटर की टक्कर से दो मजदूरों की मौत

बुलंदशहर। औरंगाबाद थाना क्षेत्र के गांव चरौरा मुस्तफाबाद के पास सोमवार रात कैंटर ने बाइक में टक्कर मार दी, इसमें दो लोगों की मौत हो गई। स्याना कोतवाली क्षेत्र के गांव नयाबांस निवासी हरशरण का पुत्र विजय कुमार व स्याना निवासी उसका दोस्त साबिर पुत्र हुसैन अली मजदूरी करके बुलंदशहर से बाइक द्वारा वापस स्याना की ओर जा रहे थे।

असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती के प्रवेश पत्र जारी

प्रयागराज। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के राजकीय महाविद्यालयों में 19 विषयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 128 पदों पर भर्ती के लिए 15 मार्च को स्क्रीनिंग परीक्षा के प्रवेश पत्र मंगलवार को जारी कर दिए। अभ्यर्थी प्रवेश पत्र और अनुदेश डाउनलोड कर निर्धारित परीक्षा केंद्र पर दो फोटो व आईडी प्रूफ की मूल व छायाप्रति लेकर उपस्थित हों।

डबलडेकर बस पलटी, एक की मौत

सासनी। आगरा–अलीगढ़ राजमार्ग स्थित नू सराँ मंडी के निकट मंगलवार सुबह एक डबलडेकर बस अनियंत्रित होकर पलट गई। हादसे में एक यात्री की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। प्रभारी निरीक्षक सतीश सिंह राघव मय फोर्स मौके पर पहुंच गए।

मकान में आग से मां की मौत, पांच झुलसे

सहारनपुर/गंगोह, हिटी। गंगोह में एक मकान में संदिग्ध हालत में आग लगने से मां की मौत हो गई, जबकि बहू-बेटा और तीन बच्चे झुलस गए।

सूचना पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने आग पर बमुश्किल काबू पाया। उधर, परिजनों ने कुछ लोगों पर घर में आग लगाने के आरोप लगाया है। घटना गंगोह के सराय पट्टी स्थित मोहल्ला मखदूमजहां की है। मोहल्ले में नगर पालिका के सफाई ठेकेदार प्रवीण वाल्मीकि का मकान है। सोमवार रात प्रवीण अपनी मां, पत्नी और तीन बच्चों के साथ घर में सोए हुए थे। आधी रात के बाद करीब तीन बजे अचानक मकान में आग लग गई। आग में प्रवीण, मां रोशनी (55), पत्नी शेफाली, बच्चे अनामिका (8), अवणी (6) और हादी (4) झुलस गए। लोगों ने सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया।

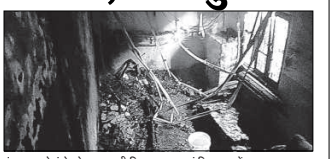
मंगलवार को गंगोह के सराय पट्टी स्थित मखदूमजहां स्थित घर में जला पड़ा सामान।

घृणा पैदा करने के मामले में आजम खां को जमानत

लखनऊ, विधि संवाददाता। सरकारी लेटर पैड व मोहर का गलत इस्तेमाल करते हुए, सपुदायों के बीच घृणा पैदा करने के एक मामले में सपा सांसद व पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान की जमानत याचिका हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मंजूर कर ली है।

यह आदेश न्यायमूर्ति संजय सिन्हा की एकल पीठ ने आजम खान की जमानत याचिका पर पारित किया। इस मामले में आजम खान के विरुद्ध आईपीसी की धारा 505 (2) के तहत चार्जशीट दाखिल की गई थी। उक्त धारा के तहत मात्र तीन साल की सजा के प्रावधान को देखते हुए, न्यायालय ने आजम खान की याचिका मंजूर की है। मामले की एफआईआर हजरतगंज थाने में एक फरवरी 2019 को वादी अल्लामा जमीर नकवी ने दर्ज कराई थी। एफआईआर कहा गया कि घटना वर्ष 2014 से सम्बंधित है लेकिन वादी की रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही थी।

सुप्रीम कोर्ट पहुंचा गलत प्रश्न का विवाद

■ संजोग मिश्र

प्रयागराज। बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक स्कूलों में 69000 सहायक अध्यापक भर्ती के एक गलत प्रश्न का विवाद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। छह जनवरी 2019 को आयोजित परीक्षा में एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे। इसको लेकर एक नंबर से फेल होने वाले अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में याचिकाएं कर दीं। हाईकोर्ट ने 25 अगस्त 2021 को ऐसे अभ्यर्थियों को पास करने और सभी अहंताएं पूरी करने पर नियुक्ति देने के आदेश दिए थे, जो मात्र एक नंबर से फेल थे। इस आदेश का अनुपालन न होने पर कुछ अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में अवमानना याचिकाएं कर दीं। तीन दिन पहले हाईकोर्ट ने अवमानना मामले में परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी को नोटिस जारी करते हुए उन्हें 25 मई को उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने के लिए तलब कर लिया। वहीं दूसरी ओर शासन के अनु सचिव धर्मेन्द्र मिश्र ने इस मामले में दो मार्च को सचिव परीक्षा नियामक को सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर करने की अनुमति दे दी है।

शिक्षक भर्ती

- छह जनवरी 2019 को हुई थी 69000 शिक्षक भर्ती परीक्षा
- एक प्रश्न के चारों विकल्प गलत होने पर हुआ विवाद

इस प्रश्न को लेकर हुआ विवाद: 69000 शिक्षक भर्ती के प्रश्नपत्र में बुकलेट संख्या 'ए' के प्रश्न 60 में पूछा गया था-'शैक्षिक प्रशासन उपयुक्त विद्यार्थियों को उपयुक्त शिक्षकों द्वारा समुचित शिक्षा प्राप्त करने योग्य बनाता है। जिससे वे उपलब्ध अधिक साधनों का उपयोग करके अपने प्रशिक्षण से सर्वोत्तम को प्राप्त करने में समर्थ हो सकें। यह परिभाषा दी गई है।' इस प्रश्न के चारों विकल्प गलत थे।

कारोबारी के ठिकानों पर छापे, 65 लाख बरामद

कानपुर, प्रमुख संवाददाता। पान मसाला कारोबार से जुड़े व्यापारियों पर डीजीजीआई के साथ आयकर विभाग भी आक्रामक हो गया है। मंगलवार को बड़े कत्था कारोबारी शिशिर अवस्थी के पांच ठिकानों पर छापेमारी की गई। देर शाम तक 65 लाख रुपए कैश बरामद हो चुके थे। इसके साथ ही तीन लॉकर भी सील किए गए हैं।

आयकर विभाग की पांच टीमों ने शिशिर अवस्थी के स्वरूप नगर स्थित आवास, नयागंज, मोतीमोहाल और काहूकोठी स्थित कार्यालय और गोदाम पर छापे मारे। एक टीम ने उन्नाव स्थित फैक्टरी में कार्रवाई की। आयकर अफसर सभी परिसरों में पूछताछ भी कर रहे हैं। लॉकर आवास से मिले हैं। आवास, ऑफिस, फैक्टरी और गोदाम से जीएसटी चोरी के बड़े पैमाने पर सुबूत मिले हैं। स्टॉक और बिलिंग में कमियां मिली हैं। अंडर बिलिंग के सैकड़ों दस्तावेज सीज कर दिए गए हैं। उन्नाव औद्योगिक क्षेत्र में स्थित फैक्ट्री से भी भारी गड़बड़ियां पाई गई हैं। सूत्रों ने बताया कि कई साल से कम बिल पर माल की सप्लाई की जा रही थी।

बंधक संपत्तियों की अर्जियां निस्तारित करें

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश शासन के मुख्य सचिव को बंधक संपत्ति पर कब्जे के मामलों में सभी जिलाधिकारियों से 24 अगस्त 2021 के आदेश का पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।

इस आदेश से सभी डीएम को सरफेसी एक्ट की धारा 14 के अंतर्गत विचाराधीन बैंकों की अर्जियों (बंधक सम्पत्ति पर भौतिक कब्जे के संदर्भ में) को 30 दिन में निर्णीत करने का आदेश दिया है, जिसके अनुपालन में सचिव राजस्व ने भी सभी जिलाधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। इसके बावजूद आदेश का पालन नहीं किया जा रहा है।

याचिका पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति जयंत बनर्जी की खंडपीठ ने बैंक ऑफ बड़ौदा की याचिका पर दिया है। कोर्ट ने कहा था कि बंधक संपत्ति पर भौतिक कब्जा लेने की बैंकों की अर्जी तय करने में देरी से अधिनियम का उद्देश्य विफल हो रहा है। सभी अर्जियां तय समय में निस्तारित की जाएं। ऐसा करने के लिए डीएम धारा 14 की अर्जियों का रजिस्टर रखें और उसकी मॉनिटरिंग करेंगे। अर्जियों को 30 दिन के भीतर निस्तारित कराएंगे लेकिन इसका पालन नहीं किया जा रहा है। याचिका पर राज्य सरकार के अधिवक्ता बीपी सिंह कछवाह ने सरकार का पक्ष रखा।

- सभी डीएम से आदेश का पालन कराने को कहा
- बैंक ऑफ बड़ौदा की याचिका पर दिया आदेश

निर्दोष साबित करने में नाकाम रहने भर पर सजा नहीं

प्रयागराज, विधि संवाददाता। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 14 वर्षीय बालिका की रेप के बाद जलाकर हत्या करने के आरोपी की फांसी की सजा रद्द कर दी है। कोर्ट ने कहा कि पाक्सो एक्ट के तहत स्वीकार्य आधारभूत सबूतों के बगैर केवल इस अवधारणा पर सजा नहीं दी जा सकती कि अभियुक्त स्वयं को निर्दोष साबित करने में नाकाम रहा है।

कोर्ट ने कहा कि निश्चित तौर पर अभियुक्त पर स्वयं को निर्दोष साबित करने का भार होता है, उसे साबित भी करना चाहिए लेकिन अभियोजन के पद उसके अपराध में लिप्त होने का प्रथमदृष्टया पर्याप्त तथ्य व आधार भूत साक्ष्य होना चाहिए।

पे-राइट कम्पनी का डायरेक्टर गिरफ्तार

लखनऊ। स्मारक समिति का 10 करोड़ रुपये गबन करने के मामले में सोमवार को गोमतीनगर पुलिस ने पे-राइट सर्विसेज प्रा.लि. कम्पनी के डायरेक्टर सतीश पाण्डेय को भी गिरफ्तार कर लिया। इस कम्पनी में ही 48 करोड़ रुपये जमा किये गये थे। फिर इस कम्पनी के खाते से 38 करोड़ रुपये की बैंक ऑफ बड़ोदा से एफडी बनवायी गई। शेष 10 करोड़ रुपये कम्पनी के खाते में ही जमा रहे।

भ्रष्टाचार की दीमक चाट गई किसानों की कमाई

कलंक कथा

■ रुपेश कुमार

बिजनौर। किसी का सपना बिटिया की शादी करना था तो कोई बच्चों की पढ़ाई का ताना बाना बुन रहा था। इसी के चलते फीना सहकारी समिति के मिनी बैंक में खून पसीने की कमाई में से थोड़ा-थोड़ा बचत के रूप में जमा कर रहे थे, लेकिन उन अभागे किसानों को क्या पता था कि भ्रष्टाचार की दीमक उनके खून पसीने की कमाई चट कर जाएगी। अब तो किसानों के पास अफसरों के चक्कर काटने के सिवाय कुछ नहीं है। किसान सहकारी समिति फीना के मिनी बैंक में हुए एक करोड़ 59 लाख के गबन में किसानों को उनका पैसा आज तक नहीं मिला है।

जून वर्ष 2020 में फीना सहकारी समिति के मिनी बैंक में करोड़ों के गबन का खुलासा हिन्दुस्तान ने किया था। विभाग ने इसपर जांच बैठाई। जांच में एक करोड़ 59 लाख के गबन की पुष्टि होने के बाद सितंबर में विभाग की ओर से बोर्ड के करीब 28 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी। साथ ही बोर्ड भंग कर दिया था। कार्यवाही के नाम पर औपचारिकता ही पूरी की गई।

> किसान सहकारी समिति फीना मिनी बैंक में करीब 1 करोड़ 59 लाख का गबन हुआ था। मुख्य अपराधी सहित 24 से अधिक बोर्ड के सदस्यों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। बोर्ड भी भंग किया जा चुका है। फीना के मिनी बैंक में करीब 93 लाख रुपया किसानों को अब तक दिलाया जा चुका है। प्रयास किए जा रहे हैं कि जल्द पैसा दिलाया जाए। — प्रदीप कुमार सिंह, एआर कोऑपरेटिव

बिजली कंपनियों ने सालाना खर्चे में 85500 करोड़ का प्रस्ताव दाखिल किया

लखनऊ। प्रदेश की बिजली कंपनियों ने वर्ष 2022-23 में अपने सालाना खर्चे के लिए करीब 85500 करोड़ रुपये का प्रस्ताव वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) के तहत उ.प्र. राज्य विद्युत नियामक आयोग में दाखिल कर दिया है। बिजली दरों से संबंधित कोई भी प्रस्ताव कंपनियों द्वारा नहीं दिया गया है। बताया जाता है कि बिजली कंपनियां प्रदेश में नई सरकार के गठन हो जाने पर सरकार से चर्चा के बाद ही टैरिफ से संबंधित प्रस्ताव आयोग में दाखिल करेंगी।

रिजवी की जमानत याचिका खारिज

नैनीताल। हाईकोर्ट ने गंगलवार को हरिद्वार धर्म संसद में भड़काऊ भाषण देने के मामले में हरिद्वार में दर्ज एफआईआर में आरोपी वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र नारायण की जमानत याचिका पर सुनवाई की। सुनवाई के बाद न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविन्द्र मैठाणी की एकलपीठ ने उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया।

ज्वालापुर हरिद्वार निवासी नदीम अली ने 2 जनवरी 2022 को हरिद्वार कोतवाली में शिकायत दर्ज कराई थी।

शाहन सिटी के निदेशक समेत छह पर एक और मुकदमा

प्रयागराज। शाहन सिटी कंपनी के निदेशक समेत छह के खिलाफ सिविल लाइंस पुलिस ने ठगी करके लाखों रुपये हड़पने का एक और मुकदमा दर्ज किया है। इस बार ओम गायत्री नगर के विजय श्रीवास्तव, बांदा के अवध किशोर और प्रयागराज के विभिन्न इलाकों में रहने वाली रितिका, सुनीता व रूबी वर्मा ने कोर्ट के आदेश पर ठगी का मुकदमा दर्ज कराया है। सिविल लाइंस पुलिस ने इस मामले में शाहन सिटी के निदेशक राशिद नसीम, आसिफ, रत्नेश सिंह, नितिन जायसवाल, श्रीकांत और अजय गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है।

मुख्य आरोपी राशिद के खिलाफ पांच लाख का इनाम घोषित है। वह विदेश में छिपा है। सैकड़ों मुकदमों में वांछित राशिद को आर्थिक अपराध शाखा प्रत्यर्पण संधि के जरिए भारत लाने की कोशिश कर रही है।

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अल्पकालीन ई–निविदा सूचना निविदा विशिष्टीकरण संख्या: –32/ वि0ज0ग0वि0 मं0/मेरठ/2021–22 के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जानपद) वितरण, प0पै0वि0नि0लि0, मेरठ हेतु डीजल चलित वाहन मय ड्राईवर किराये पर रखने का कार्य निविदा मूल्य रू0 1,180.00 (जीएसटीटी सहित) घरोहर धनराशि रू0 3,100.00 / निविदा विशिष्टीकरण संख्या: –33/वि0ज0ग0वि0मं0/मेरठ/2021–22 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (जानपद–प्रथम), प0पै0वि0नि0लि0, मेरठ हेतु डीजल चलित वाहन मय ड्राईवर किराये पर रखने का कार्य। निविदा मूल्य रू0 1,180.00 (जीएसटीटी सहित) घरोहर धनराशि रू0 2,600.00 । निविदा विशिष्टीकरण संख्या:–34/वि0ज0ग0वि0मं0/मेरठ/2021–22 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी (जानपद), प0वि0वि0नि0लि0, मुजफ्फरनगर/सहारनपुर हेतु डीजल चलित वाहन मय ड्राईवर किराये पर रखने का कार्य। निविदा मूल्य रू0 1,180.00 (जीएसटीटी सहित) घरोहर धनराशि रू0 2,600.00 । उपरोक्त सम्बन्धित कार्य हेतु अल्पकालीन ई–निविदा आमंत्रित है, जिसकी अन्तिम तिथि दिनांक 21.032022 समय दोपहर 12:00 बजे तक एवं निविदा के प्रथम मान खोलने की तिथि दिनांक 21.03.2022 समय सायं 02:30 बजे के पश्चात है। विस्तार से सभी जानकारी एवं संशोधन अथवा निविदा खुलने की तिथि में विस्तार होता है तो इसकी सूचना हेतु www.pvvnl.org एवं e-Tendering website www.etender.up.nic.in पर लॉग ऑन करें। "बिजली चोरी की सूचना हेल्पलाईन नम्बर: 1800–180–3002 (मेरठ) एवं 1800–180–8752 (लखनऊ) पर दें।" अधीक्षण अभियन्ता (जानपद) मेरठ। पत्रांक 226 दिनांक 08.03.2022

पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड

अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा निम्नलिखित कार्य हेतु अनुभवी एवं प्रतिष्ठित ठेकेदारों जिनका आयकर वस्तु एवं सेवाकर (जी.एस.टी.) में पंजीकरण तथा सम्बंधित निविदा में वर्णित अर्हता को पूर्ण करते हो के द्वारा अल्पकालीन ई–निविदा दो अलग–अलग भागों में आमंत्रित की जाती है, जो कि दिनांक 24.03.2022 तक 12.00 बजे तक ई–निविदा पोर्टल (www.etender.up.nic.in) पर भरी जा सकती है तथा निविदा को उसी दिन दिनांक 24.03.2022 को सांय 14:00 बजे इस कार्यालय में खोला जायेगा। यदि उस दिन अवकाश हुआ तो ये निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी। ई–निविदा सं0 ईएसडी/एमटी/01/2022–23 के अन्तर्गत विद्युत भण्डार खण्ड, मेरठ के वित्तीयरीय कार्यों हेतु 01 नग डीजल चलित कार/हल्का वाहन चालक सहित अवधि 01.04.2022 से 31.03.2023 के लिए किराये पर लेने हेतु निविदा शुल्क एवं धरोहर राशि एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. के माध्यम से अधिशासी अभियंता, विद्युत भंडार खण्ड, मेरठ के बैंक ऑफ़ नेशनल बैंक, शाखा साकेत, मेरठ के खाता संख्या 251200210007208 (IFSC : PUNB0251200) में जमा कराकर बैंक जमा का साक्ष्य यथा योज्य यू.टी.आर. संख्या, पे–इन रिलय पी प्रति एवं अन्य आवश्यक प्रपत्रों के साथ निविदा के प्रथम भाग में अपलोड किया जाना आवश्यक है तथा निविदा के द्वितीय भाग में सिर्फ वर्ड भरी जायेगी। कृपया विस्तृत जानकारी हेतु www.pvvnl.org/ www.etender.nic.in देखें। अधिशासी अभियन्ता, विद्युत भण्डार खण्ड, 8–न्यू आर्यनगर, जेल रोड, मेरठ। "राष्ट्र हित में बिजली बचायें" अधिशासी अभियन्ता विद्युत भण्डार खण्ड, मेरठ "बिजली चोरी की सूचना हेल्पलाईन नम्बर: 1800–180–3002 (मेरठ) एवं 1800–180–8752 (लखनऊ) पर दें। पत्रांक 2035 दिनांक 08.03.2022

कार्यालय जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर।

संख्या 4746/जि0आ0अ0/मतगणना–2022/होली/बिजनौर/ दिनाक मार्च 08.2022

"चेतावनी"

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आगामी विधानसभा सामान्य निर्वाचन–2022 की मतगणना दिनांक 10.03 2022 एवं होली का पर्व सन्निकट के दृष्टिगत कुछ असामाजिक प्रवृत्ति के लोग निजी स्वार्थवश अन्य प्रान्तों से अवैध मदिरा की तस्करी, विभिन्न तरीकों से अवैध मद्यनिष्कर्ष/अवैध मदिरा का निर्माण कर बिक्री करते है। इस प्रकार से तैयार अवैध मदिरा में कई जहरीले कैमिकल मिले हो सकते हैं।

अतः समस्त मदिरा उपभोक्ताओं को सचेत किया जाता है कि "अवैध अड्डों से बिकने वाली अवैध मदिरा का सेवन न करें, क्योंकि अवैध अड्डों से मिलने वाली मदिरा जहरीली हो सकती है तथा मिश्राइल अल्कोहल भी हो सकता है, जो एक विष है तथा इसके अल्प मात्रा के सेवन से आँखों की रोशनी जाने के साथ व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है।"

यदि किसी को अवैध मदिरा की बिक्री/तस्करी के सम्बन्ध में कोई सूचना प्राप्त होती है या जनपद की मदिरा दुकानों पर प्रिन्ट रेट से अधिक मदिरा की बिक्री (ओवर रेटिंग) की शिकायत मिलती है तो जनपद बिजनौर के आबकारी विभाग के कन्ट्रोल रूम मोबाइल नम्बर 9454466818 पर एवं 1–जिला आबकारी अधिकारी, बिजनौर, मो0नं0–9454465658, 2–आबकारी निरीक्षक क्षेत्र प्रथम (तहसील–बिजनौर) मो0नं0–9454466514, 3–आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–दो (तहसील नजीबाबाद) मो0नं0–9454466515, 4–आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–तीन (तहसील–धामपुर) मो0नं0–9454466516, 5–आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–चार (तहसील–चाँदपुर) मो0–0–9454466517 6 आबकारी निरीक्षक क्षेत्र–पाँच (तहसील–नगीना) मो0नं0–9454466519 पर तत्काल सूचना दी जा सकती है। सूचना देने वाले का नाम व पता गोपनीय रखा जायेगा। आप द्वारा दी गयी सूचना ऐसे अड्डों/मदिरा दुकानों पर तुरन्त कार्यवाही में मददगार हो सकती है।

(गिरीश चन्द्र वर्मा)
जिला आबकारी अधिकारी
बिजनौर

दामोदर घाटी निगम

ई-निविदा

दामोदर घाटी निगम निम्नलिखित कार्य हेतु योग्य बोलीदाताओं से ऑनलाइन बोलियां (ई-निविदा) आमंत्रित करता है:

एनआईटी सं.	कार्य का विवरण	निविदा अपलोड करने की अवधि एवं समय
डीवीसी/टेंडर/सैंधन/जेनेरेशन (ईस्ट जोन) (कोलकाता) सी एंड एम पर्चेज एंड कॉन्ट्रैक्ट/वर्क्स एंड सर्विस/ 00019/आरईवी_1 दिनांक 10.03.2022	पश्चिम बंगाल राज्य के पश्चिम बर्द्धमान जिले में अवस्थित "दुर्गापुर वैराज में जल आपूर्ति नहर की स्थायी मरम्मती/ पुनर्बहाली" कार्य के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति का पुनः आमंत्रण।	11.03.2022 (अपराह्न 5.00 बजे) से 08.04.2022 (अपराह्न 5.00 बजे तक)।

तत्परयता विवरण तथा निविदा में भाग लेने के लिए कृपया वेबसाइट https://etenders.gov.in पर लॉग ऑन करें। (Inf./73/Misc./21-22)

कार्यालय महाप्रबन्धक(जल) नगर निगम सहारनपुर।

पत्रांक 299/जा0अ0/न0नि0स0हा0/2021–22 दिनांक 08 मार्च, 2022

–:: प्रेस विज्ञप्ति ::–

नगर निगम के समस्त सम्मानित मा0 पार्षदों, क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों एवं क्षेत्रीय नागरिकों को सूचित किया जाता है कि, सीवर लाईन सफाई एवं मेनहोल मरम्मत कार्य, पेयजल पाईप लाईन लिकेज व पेयजल सम्बन्धित किसी भी प्रकार की शिकायत को नगर निगम के कन्ट्रोल रूम के मोबाइल no 8477008027, 8477008015, 8477008057, 8477008058 पर दर्ज करा सकते है। नगर निगम के कन्ट्रोल रूम में प्राप्त शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता/वरीयता के आधार पर कराया जायेगा। केवल सीवर सम्बन्धित शिकायतें नेशनल टोल फ्री नम्बर 14420 पर भी दर्ज करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (जल)
नगर निगम सहारनपुर।

मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ विज्ञप्ति

गंगानगर आवासीय योजना में निम्नलिखित सम्पत्ति के मूल आवंटी की मृत्यु उपरान्त वारिस के आधार पर नामान्तरण किया जाना है जिसका विवरण निम्नवत है:–

सम्पत्ति संख्या	मृतक का नाम एवं मृत्यु की दिनांक	हितबद्ध वारिस का नाम, एवम सम्बन्ध
गंगानगर आवासीय योजना के पार्किट–ए में स्थित मध्यम आय वर्ग श्रेणी के भवन संख्या–ए /178 क्षेत्रफल–112.50 वर्ग मीटर	स्व0 श्री धर्मपाल सिंह पुत्र श्री नन्या सिंह मृत्यु दिनांक–19.12.2017	1– श्रीमती विमला (पत्नी) आयु–73 वर्ष 2– श्री सुशील कुमार (पुत्र) आयु–45 वर्ष

यदि मृतक के दो वारिसों के पक्ष में नामान्तरण दिये जाने पर किसी हितबद्ध व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अपनी आपत्ति आवश्यक साक्ष्य सहित प्रकाशन की दिनांक से एक माह के अन्दर प्रस्तुत कर सकते है। निर्धारित समय तक आपत्ति प्राप्त न होने पर नामान्तरण कर दिया जायेगा। जिसके सम्बन्ध में प्राधिकरण का कोई उत्तरदायित्व नही होगा।

प्रभारी अधिकारी सम्पत्ति,
मेरठ विकास प्राधिकरण,
मेरठ।

कार्यालय प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक, गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, उ0 प्र0 वन निगम, दिल्ली रोड़, रिठानी, मेरठ।

Email Id-dsmgha@upfc.in/GST No-09AAATU3944K1Z1

नीलाम विज्ञप्ति

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि गाजियाबाद विक्रय प्रभाग के अन्तर्गत रिठानी, कुमराला, कैलाशपुर, एवं खूजां डिपो में भण्डारित समस्त प्रकाष्ठ की बिक्री सामान्य नीलाम के माध्यम से दिनांक 15.03.2022 को रिठानी डिपो परिसर में की जायेगी। इसके साथ–साथ अन्य वन प्रभाग के भी –1 की लाटों का एवं अन्य विभागों से प्राप्त खड़े वृक्षों का भी नीलाम सामान्य नीलाम के अन्तर्गत दिनांक 15.03.2022 को रिठानी डिपो परिसर में किया जायेगा। शेष शर्तें पूर्ववत रहेंगी। नीलाम में रखी लाटों की डिपोवार विक्रय सूची वन निगम की वेबसाईट, www.upforestcorporation.co.in पर अपलोड की जा रही है।

अतः क्रेताओं से अनुरोध है कि दिनांक 15.03.2022 को रिठानी डिपो में समय से पहुँच कर नीलाम में भाग लेने का कष्ट करें।

(गिरीश कुमार पीरया)
प्रभागीय विक्रय प्रबन्धक,
गाजियाबाद विक्रय प्रभाग, मेरठ।

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय : नाशिक रोड

(भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी)
भारत सरकार के उद्यम की स्थापित CIN: U22213GJ2006GOI046153

सूची निविदा / पी.क्यू.बी.
(OPEN TENDER/PQB NOTICE)

मुख्यप्रशासकीय भाप्रु निम्नलिखित निविदा के लिए खुली निविदा (एसपीबी) आमंत्रित करते है:

1) प्रीलैमिनेटेड ऑफ सर्पाशियो पेपर बिथ हॉट सेल्ट एडहेसिव (प्रेशर सेंसेटिविटी) फोटोग्रे ऑफ बेकड विथ सिलिकोन कोटेड स्क्लाएन्ट रिलीज पेपर इन रील विद रील विड्थ ऑफ 44 सेमी. आगिटी:125 (+ 5%) एसटी एक्सपोर्ट टेंडर (निविदा संख्या- 6000017337)

विस्तृत जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट http://ispnasik.spmcil.com देखें, कोई संशोधन/शुद्धिपत्रक केवल वेबसाइट पर ही प्रकाशित की जाएगी. हस्ता /– संयुक्त महाप्रबन्धक (सामग्री)

उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0 ई–निविदा सूचना

निम्नलिखित ई–निविदायें अधिकत एवं अनभवी कार